न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12/2019 (राजसमन्द डिकी)

1. भंवरराम पिता स्वर्गीय श्री छोगाराम भील, निवासी छापली, तहसील भीम, जिला राजसमन्द(राज.)
2. मोतीराम पिता स्वर्गीय श्री छोगाराम भील, निवासी छापली, तहसील भीम, जिला राजसमन्द(राज.)
3. हरिराम पिता स्वर्गीय श्री छोगाराम भील, निवासी छापली, तहसील भीम, जिला राजसमन्द(राज.)
4. नारूराम पिता स्वर्गीय श्री छोगाराम भील, निवासी छापली, तहसील भीम, जिला राजसमन्द(राज.)
5. श्रीमती घीसी पिता स्वर्गीय श्री छोगाराम भील, निवासी छापली, तहसील भीम, जिला राजसमन्द(राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजूसिंह पिता श्री देवीसिंह रावत, निवासी बडावास बग्गड तहसील भीम, जिला राजसमन्द(राज.)
2. तहसीलदार भीम, जिला राजसमन्द(राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिकी उपखण्ड अधिकारी, भीम
दिनांक 05.09.2018 प्र. सं. 58/13

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री मदनसिंह चौहान अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री संजय बोहरा अभिभाशक रस्पोन्डेन्ट सं0 1

3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 2

———::———

निर्णय दिनांक

28—06—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व सरकार के विरूद्ध एक वाद अर्न्तगत धारा 88, 89 राजस्थान का"तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बगड़ में आराजी नंबर 407 स्थित थे। वादी फौजी होने के कारण उसे व अन्य फौजियों को आराजी नंबर 407 में से भूमि आवंटित की गयी। इसी आधार पर अपीलान्ट को उक्त आराजी नंबर 407 में 4 बीघा भूमि आवंटित की जाकर मौके पर कब्जा सिपुर्द किया गया, तब से निरन्तर वादी का कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी के नये नंबर 3702/3017 बने, जिसकी पुष्टि पुराने नक्शे में हो रखी है व खोले गये नामान्तरकरण से भी होती है, किन्तु दौराने सेटलमेन्ट गलत तरोके से 3702/3017 का पुराना नंबर 60 बताया गया, जबकि उसे नये पुराने नंबर 407 थे। प्रतिवादी वरदी पत्नी छोगालाल ने पटवारी से मिली भगत कर गलत तरीके से उक्त वर्णित भूमि आवंटित करवा ली, परन्तु मौके पर उसे आराजी नंबर 3018 का कब्जा सिपुर्द किया गया, क्योंकि आराजी नंबर 3702/3017 मौके पर खाली नहीं था तथा आज भी प्रतिवादी का आराजी नंबर 3018 पर कब्जा है। आराजी नंबर 3702/3017 रकबा 4 बीघा पर प्रतिवादी का कब्जा कभी नहीं रहा, परन्तु गलत तरीके से आवंटन नंबर गलत डाल दिया गया। प्रतिवादीगण ताकत के बल पर वादी से उसे आवंटित भूमि छीनना चाहते हैं। अतः आराजी नंबर 407 जिसके नक्शे अनुसार हाल आराजी नंबर 3702/3017 रकबा 4 बीघा का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने जवाब व जांच रिपोर्ट में साबिक आराजी नंबर 407 से हाल आराजी नंबर 3702/3017 बनना बताया तथा वादी का कब्जा होना बताया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 05–09–2018 को निर्णय पारित करते हुए हुए वादी का वाद स्वीकार किया गया, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा दिनांक 06–03–2019 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

नकल मिलने में हुए विलम्ब के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर उसके साथ कुल 5 दस्तावेज प्रस्तुत कर अपील निस्तारण के लिए आवश्यक दस्तावेज बताया तथा न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

उक्त आवेदन का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उक्त दस्तावेजों को कानूनन देखा ही नहीं जा सकता, मात्र प्रकरण को लम्बा करने के दृष्टिगत यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.बी.जे. 2000 पेज 497, आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 683, आर.आर.डी. 1998 पेज 387 एवं आर.आर.डी. 1998 पेज 168 प्रस्तुत की, जिनके अनुसार अतिरिक्त साक्ष्य को रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता।

उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रस्तुत दस्तावेजात में से मात्र जमाबन्दी की सत्य प्रति प्रस्तुत की गयी है, जबकि शेष दस्तावेजात मात्र फोटो प्रतियां होने से उन्हें रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता। हमने जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि होने से न्यायहित में रेकार्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के जवाबदावे का गलत निष्कर्ष निकाला है, जबकि जबावदावे में हमने स्पष्ट रूप से अपना कब्जा होना बताया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात विरचित नहीं की गयी, न ही साक्ष्य लेकर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिए कोई दफा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1080, आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1037, आर.बी.जे. 2011 पेज 7 एवं आर.बी.जे. 2006 पेज 233 प्रस्तुत की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि पर्चा मौका मौतबिरान की उपस्थिति में तैयार किया गया है, उसके अनुसार विवादित भूमि पर कब्जा रेस्पोन्डेन्ट/वादी का होना साबित होता है तथा उसके पक्ष में दिनांक 24–01–1968 को अन्य व्यक्तियों के साथ साबिक आराजी नंबर 407 में से 4 बीघा का आवंटन किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विवेचन में यह अंकित किया गया है कि वादी फौजी होकर आवंटन कमेटी द्वारा उसे आराजी नंबर 407 में से 4 बीघा का आवंटन किया गया है, जिसके नये नंबर 3702/3017 हैं तथा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार वादी का कब्जा है, जबकि इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। उक्त आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद स्वीकार कर उसे विवादित हाल आराजी

नंबर 3702/3017 रकबा 4 बीघा का खातेदार घोषित किया है, जो उपलब्ध रेकार्ड अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 05–09–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

भंवराराम पिता स्व. छोगाराम जी भील निवासी छापली, तहसील भीम, जिला राजसमन्द व अन्य

बनाम

राजूसिंह पिता देवीसिंह जी रावत निवासी बडावास, बग्गड़ तहसील भीम, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं॰.....12 / 2019.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....भीम..... मुकाम.....मुवर्खे.....05.....माह.....09..... ..2018

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....28.....माह.....06.....सन् 2019 रूबरू..... ..पक्षकारान व हाजरी...श्री मदनसिंह चौहान ....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री संजय बोहरा

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 05–09–2018 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....28.....माह.....06... .....2019 को जारी किया गया ।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।